संख्या-03/2024/001-2566569(1)/12-2099/92/2022 पार्ट-1

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 04 जनवरी, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8920-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में पुनर्विनियोग के माध्यम से राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–अभि0-15-102/1029/एस0एम0ए0एम0-सी0आर0एम0-स्पे0-83-रा0/लेखा/2023-24 दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8908-नेशनल प्रोटेक्ट आन स्वायल हेल्थ फर्टिलिटी के मानक मद-27-सब्सिडी में धनराशि रूपये 213.78 लाख एवं 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू0 97.66 लाख अर्थात कुल रू0 311.44 लाख की बचत से अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8920-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के मानक मद-42-अन्य व्यय में 311.44 लाख (रूपये तीन करोड़ ग्यारह लाख चौवालिस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा भारत सरकार से प्राप्त सहमति के अनुरूप किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नही की जायेगी।

(4) जिस प्रायोजन हेतु धनराशि की मॉग की जा रही है उसी मद/कार्यो में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(6) कृषि निदेशक स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(7) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में की लिया जायेगा।

(8) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में रक्षित नही की जायेगी।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/ 2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,11,44,000 (रुपये तीन करोड़ ग्यारह लाख चौवालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2401007898920 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन एण्ड टेक्नोलॉजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/ 2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-03/2024/001-2566569(2)/12-2099/92/2022 पार्ट-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ/संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-2566569 2023 12-2099 92 2022 - I

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2402007898908 (नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हैल्थ फर्टिलिटी)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	1,75,98,000 रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख अट्ठानबे हजार मात्र	1,75,98,000 रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख अट्ठानबे हजार मात्र	97,66,000 रुपये सतानवे लाख छियासठ हजार मात्र	97.66	78.32	2023-2024
083	2402007898908 (नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हैल्थ फर्टिलिटी)	27 (सब्सिडी)	2,13,78,000 रुपये दो करोड़ तेरह लाख अठहत्तर हजार मात्र	2,13,78,000 रुपये दो करोड़ तेरह लाख अठहत्तर हजार मात्र	2,13,78,000 रुपये दो करोड़ तेरह लाख अठहत्तर हजार मात्र	213.78	0.00	2023-2024
कुल					₹ 3,11,44,000	₹0 311.44		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2401007898920 (नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलाजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन)	42 (अन्य व्यय)	32,00,000 रुपये बत्तीस लाख मात्र	3,11,44,000 रुपये तीन करोड़ ग्यारह लाख चवालीस हजार मात्र	311.44	343.44	2023-2024
कुल				₹ 3,11,44,000	₹0 311.44		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-

(अ)-योजना में मॉग न होने कारण बचत है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(अ)- भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्डिय्यू योजना को एस0एम0ए0एम0 योजना के साथ मर्ज किये जाने के फलस्वरूप एस0एम0ए0एम0 के लेखाशीर्षक में केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश का प्रावधान कराये जाने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-257 दि0 22-12-2023

संख्याः आर ई-< >-2023-24, दिनांक- अक्टूबर, 2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 20-12-2023 16:04:45
Reason: Approved
उप सचिव।

संख्या- 2566569/2023/ 12-2099/ 92/ 2022-I तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जयाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियाँ मैं)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

30/10/2023
Gunjan Dubey
30-10-2023

आज्ञा से
(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।